भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4114
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- अनौपचारिक भूमि जोतों के लिए डिजिटलीकरण प्रक्रिया

4114. श्री देवुसिंह चौहानः
श्री तापिर गावः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उक्त मिशन डिजिटलीकरण प्रक्रिया में महिला किसानों, काश्तकारों और अनौपचारिक भूमि जोतों वाले लोगों के लिए किस प्रकार समावेशिता सुनिश्चित करता है;

(ख) कम इंटरनेट पहुंच अथवा डिजिटल अवसंरचना वाले क्षेत्रों में किसानों को सहायता देने के लिए क्या प्रावधान हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय मिशन की प्रगति के आधार पर बजट का विस्तार करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) डिजिटल कृषि मिशन के तहत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भूमि धारक किसान शामिल हैं। किसान रजिस्ट्री एप्लीकेशन में काश्तकार और पट्टेदार किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। राज्य, अपनी नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है।

(ख) यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है लेकिन जिन किसानों के पास मोबाइल फोन नहीं हैं, उनके डिजिटल इन्क्लूज़न को सुनिश्चित करने के लिए और भी कदम उठाए गए हैं जैसे कि वे किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), कृषि सखी और कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) जैसे मौजूदा सहायता संसाधनों का उपयोग कर एग्रीस्टैक पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं तथा सेवाओं और लाभों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य, कैंप का आयोजन कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान मिशन के कार्यान्वयन का लाभ पाने से वंचित न रह जाए।

(ग) सरकार ने 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है।

*****